प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठः माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका क्रमांक 4373/2004

याचिकाकर्ता - मुरलीलाल यादव, पिता श्री तेरस राम यादव, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम तिवारी पारा खरोद, थाना शिवरीनारायण, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा सचिव, महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर, छ.ग.

2. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जांजगीर-चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग.

3. नगर पालिका परिषद, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खरोद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

4. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर, छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

श्री भरत राजपूत, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री बी.डी. गुरु, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 के अधिवक्ता।

श्री सुमित वर्मा, उत्तरवादी क्रमांक 4/राज्य के पैनल अधिवक्ता।

.....

आदेश

(दिनांक 9 फरवरी, 2007 को पारित)

(1) *याचिकाकर्ता ने दिसंबर, 1999 में नगर पंचायत, खरौद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, किन्तु वह सफल नहीं हो सका। उसे निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक था, परंतु उसने निर्धारित समयावधि में उक्त लेखा प्रस्तुत नहीं किया। काफी समय बीत जाने के पश्चात, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिनांक 25.06.2004 को पत्र जारी कर चुनाव व्यय का लेखा प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा तथा पुनः दिनांक 09.07.2004 को अनुस्मारकजारी किया। इन पत्रों के प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि अज्ञानवश वह समय पर चुनाव व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्वाचन आयोग ने, चुनाव व्यय का लेखा समय पर प्रस्तुत न करने के कारण, आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को पाँच वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष या पार्षद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुतिकरण) आदेश, 1997 के खंड 10 के उपखंड (5), (6) एवं (7) निम्नानुसार हैं :–

> ***"(5)*** *जहाँ निर्वाचन आयोग यह निर्णय करता है कि किसी प्रत्याशी ने अधिनियम तथा इस आदेश के अनुसार अपेक्षित समय एवं विधि में अपने चुनाव व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उस प्रत्याशी को कारण बताने हेतु निर्देश देगा कि उसे Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 की धारा 14-सी अथवा, यथास्थिति, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अंतर्गत अयोग्य क्यों न घोषित किया जाए।*
>
> **(6)** उपखंड (5) के अंतर्गत नोटिस प्राप्त करने वाला प्रत्याशी, नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर, उक्त विषय में निर्वाचन आयोग को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा साथ ही, यदि उसने पूर्व में *निर्वाचन* व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भी भेजेगा।

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के पाँच दिनों के भीतर, उस अभ्यावेदन एवं लेखा (यदि कोई हो) को अपने अभिमत सहित निर्वाचन आयोग को अग्रेषित करेगा, ताकि आगे उचित कार्यवाही की जा सके।"

(3) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग इस प्रकार है—

"यदि राज्य निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि कोई व्यक्ति—
(क) अधिनियम अथवा उसके अधीन अपेक्षित समय एवं विधि में चुनाव व्यय का लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहा है; तथा
(ख) इस विफलता के लिए उसके पास कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है,

तो राज्य निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे अयोग्य घोषित करेगा, और ऐसा व्यक्ति आदेश की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक नगर परिषद या नगर पंचायत का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिए अयोग्य रहेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) यह स्पष्ट है कि विधि के अनुसार याचिकाकर्ता को यह बताने हेतु एक विशिष्ट कारण बताओ नोटिस देना आवश्यक है कि उसे अयोग्य क्यों न घोषित किया जाए, तथा राज्य निर्वाचन आयोग पर यह दायित्व है कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणियों (यदि कोई हों) सहित याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर समुचित विचार कर यह निर्णय करे कि क्या याचिकाकर्ता के पास अपने चूक के लिए कोई उचित कारण या औचित्य है। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता को ऐसा कोई नोटिस जारी एवं तामील नहीं किया गया, और न ही राज्य निर्वाचन आयोग ने विधि के प्रावधानों के अनुरूप उसके स्पष्टीकरण पर विचार किया।

(5) परिणामस्वरूप, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जो कि विधि के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, स्थिर नहीं रह सकता। अतः उक्त आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। तथापि, राज्य निर्वाचन

आयोग को विधि के अनुसार पुनः कार्यवाही करने से रोका नहीं जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(वी. के. श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur